N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0019 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 30/01/2025 18:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/01/2025 Date To (दिनांक तक): 29/01/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:58 बजे Time To (समय तक): 17:50 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/01/2025 Time (समय): 18:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 30/01/2025 18:56:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 540 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b)Address(पता): THIKARIYA MANDIR KE SAMANE, WALI SADAK

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RAKAMCHAND BAMNIYA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** VALURAM BAMNIYA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAMBHAPOR, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAMBHAPOR, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARBHULAL PARGI		पिता:MAVJEE PARGI	1. THIKARIYA,BANSWARA,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		16,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 16,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि " मुझ प्रार्थी श्री रकमचंद पुत्र श्री वालुराम बामनिया उम्र 24 वर्ष निवासी भापोर तहसील व जिला बांसवाडा का रहने वाला हू। मेरे पिताजी वालुराम बामनिया भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा के माध्यम से अटल सेवा केन्द्र भापोर जिला बांसवाडा में अस्थाई गार्ड की नौकरी करते है जिसके लिए मेरे पिताजी को प्रतिमाह 8,182/- रूपये मासिक वेतन मिलता है। परन्तु मेरे पिताजी को पिछले पांच माह से वेतन नही मिला है जिसके लिए पिताजी के कहने पर मै भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा के कार्यालय गया तो उन्होने बताया की ग्राम पंचायत से तुम्हारे पिता के वेतन बिल का भुगतान अभी तक नही हुआ है तुम ग्राम पंचायत भापोर में जाकर सचिव साहब से मिलों। जिस पर में ग्राम पंचायत भापोर गया और सचिव साहब श्री प्रभुलाल जी पारगी से मिला तो उन्होने मेरे पिताजी के पांच माह के बकाया बिल भुगतान के लिए मुझसे 25,000/- रूपये की मांग की गई। मेरे काफी निवेदन करने पर भी वह नही माने और कह रहे है कि 25,000/- रूपये खर्चे पानी के देगा तो ही तेरे पिताजी के पांच माह के वेतन बिल का भुगतान समिति को करूंगा। मैं श्री प्रभुलाल जी सचिव साहब को 25,000/- रूपये रिष्वत के नही देकर उन्हे रिष्वत लेते पकडवाना चाहता हू। मेरी प्रभुलाल जी सचिव साहब से कोई आपसी दुष्मनी नही है और ना ही मेरा कोई उधार लेन-देन बाकि है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। इत्यादी प्रस्तुत की गई।" दिनांकः-20.01.2025 सही/- रकमचंद बामनिया पिता वालुराम बामनिया निवासी भापोर मो0 [redacted] कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 21.01.2025 समय 03.30 पी.एम. दर्ज रहे कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 20.01.2025 को अवकाष पर था बाद अवकाष उपभोग कर उपस्थित ब्यूरो इकाई बांसवाडा आकर ब्यूरो इकाई के आवष्यक राजकार्य में व्यस्त रहा। दर्ज रहे कि दिनांक 20.01.2025 को समय 11.58 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेष कानि 555 जो कि ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित था उसने जरिये व्हॉट्सएप कॉल से सम्पर्क कर अवगत कराया कि श्री रकमचंद परिवादी ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय पर उपस्थित आया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेष कानि को परिवादी से आवष्यक पूछताछ कर उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त करे व ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही से अवगत करा कर नियमानुसार रिष्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। जिस पर आज कानि श्री राजेष कुमार को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तो कानि द्वारा उपस्थित होकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुझे सुपूर्द किया गया। तत्पष्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है कि " प्रार्थी श्री रकमचंद पुत्र श्री वालुराम बामनिया उम्र 24 वर्ष निवासी भापोर तहसील व जिला बांसवाडा का रहने वाला हू। मेरे पिताजी वालुराम बामनिया भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा के माध्यम से अटल सेवा केन्द्र भापोर जिला बांसवाडा में अस्थाई गार्ड की नौकरी करते है जिसके लिए मेरे पिताजी को प्रतिमाह 8,182/- रूपये मासिक वेतन मिलता है। परन्तु मेरे पिताजी को पिछले पांच माह से वेतन नही मिला है जिसके लिए पिताजी के कहने पर मै भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा के कार्यालय गया तो उन्होने बताया की ग्राम पंचायत से तुम्हारे पिता के वेतन बिल का भुगतान अभी तक नही हुआ है तुम ग्राम पंचायत भापोर में जाकर सचिव साहब से मिलों। जिस पर में ग्राम पंचायत भापोर गया और सचिव साहब श्री प्रभुलाल जी पारगी से मिला तो उन्होने मेरे पिताजी के पांच माह के बकाया बिल भुगतान के लिए मुझसे 25,000/- रूपये की मांग की गई। मेरे काफी निवेदन करने पर भी वह नही माने और कह रहे है कि 25,000/- रूपये खर्चे पानी के देगा तो ही तेरे पिताजी के पांच माह के वेतन बिल का भुगतान समिति को करूंगा। मैं श्री प्रभुलाल जी सचिव साहब को 25,000/- रूपये रिष्वत के नही देकर उन्हे रिष्वत लेते पकडवाना चाहता हू। मेरी प्रभुलाल जी सचिव साहब से कोई आपसी दुष्मनी नही है और ना ही मेरा कोई उधार लेन-देन बाकि है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। इत्यादी प्रस्तुत की गई।'जिस पर परिवादी से प्राप्त प्रार्थना पत्र व रिष्वत मांग सत्यापन की वार्ता के सम्बन्ध में कानि श्री राजेष कुमार 555 ने बताया कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मे नई रिक्त मेमोरी कार्ड डालकर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी श्री रकमचंद बामनिया के साथ मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर दिनांक 20.01.2025 समय करीब 12.15 पीएम पर ब्यूरो इकाई से रवाना हो करीब आधे घण्ठे बाद कस्बा भापोर पहूंचा। जहां से परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर

मय नया मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द कर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर ग्राम पंचायत भापोर की और रवाना कर मै ग्राम पंचायत कार्यालय के आस-पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर मैने अपने पास रख लिया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय गया तो वहां पर सचिव साहब मिटींग में व्यस्त थे इसलिए मुझसे वार्ता नही की गई। जिस पर समय करीब 01.13 पीएम पर परिवादी को आवष्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा चालु हालत में सुपूर्द कर पुनः रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु ग्राम पंचायत भापोर के कार्यालय के लिए रवाना किया मन् कानि आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहा। करीबन 20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में मुझे सुपूर्द किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया कि सचिव साहब से मेरी रिष्वत मांग वार्ता हो चुकी है जिसमें उन्होने मेरे पिताजी के पांच माह के बकाया वेतन बिल बनाने के एवज में पच्चीस हजार रूपये की मांग की गई मेरे निवेदन करने पर वो बीस हजार रूपये लेने सहमत हुए और वार्ता के दौरान मुझसे चार हजार रूपये ले लियें शेष सोलह हजार रूपये आकर दे जाने के लिए कहां गया है। उक्त वार्ता मैने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। तत्पष्चात कानि ने बताया कि आपके निर्देषानुसार परिवादी को रिष्वत में दि जाने वाली रिष्वती राषि सोलह हजार रूपये कि व्यवस्था करने की आवष्यक हिदायत कर रूकसत किया गया तथा मन् कानि ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ कस्बा भापोर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर प्रथम वार्ता को सुना गया तो उसमें रिष्वत मांग सम्बन्धित कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हुई है केवल अन्य व्यक्तियों की आवाजें आ रही है। तत्पष्चात डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड द्वितीय वार्ता के मुख्य अंष को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने-सामनें रिष्वत राषि की मांग का सत्यापन होना पाया गया तथा श्री राजेष कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। तत्पष्चात ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ श्री राजेष कानि को सुपूर्द कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पष्चात श्री राजेष कुमार कानि ने बताया कि परिवादी श्री रकमचंद ने मुझे जरिये दूरभाष बताया है कि रिष्वती राषि सोलह हजार रूपयें कि व्यवस्था हो गई है मैं कल दिनांक 22.01.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 21.01.2025 समय 04.30 पीएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बांसवाडा के नाम कार्यालय पत्रांक 107 दिनांक 21.01.2025 जारी कर कल दिनांक 22.01.2025 को गवाहा पाबन्द कराने हेतु श्री माजिद कानि. 241 को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया जो जिला षिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बांसवाडा तहरिर लेकर उपस्थित आया जिसमें स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू, उप प्रधानाचार्य व श्री मणीलाल यादव, अध्यापक का नाम मनोनीत किया गया है उक्त तहरिर को शामिल पत्रावली किया गया। आईन्दा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 22.01.2025 समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिष्वत राषि 16,000 रूपये और देना तय हुआ था, मांग के अनुसार मैं 16,000 हजार रूपये कि व्यवस्था करके ले आया हूॅं। तत्पष्चात परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.01.2025 को हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जो की उसके द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी बाबत् माजिद दरियाफ्त पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया की " मै दिनांक 20.01.2025 को आपके कार्यालय पर उपस्थित आया और श्री राजेष जी कानि से मिला और उन्हे बताया की मेरे पिताजी अटल सेवा केन्द्र भापोर पर भुतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा के माध्यम से अस्थाई गार्ड की नौकरी करते है जिनका पिछले पांच माह का वेतन बकाया है मैं जब ग्राम पंचायत कार्यालय भापोर गया तो वहां पर सचिव साहब मिटींग में व्यस्त थे इसलिए मुझसे वार्ता नही की गई, मै बाद में वापस ग्राम पंचायत कार्यालय गया तब सचिव साहब से मिला तो मुझसे मेरे पिताजी के वेतन बिल बनाने की एवज में सचिव श्री प्रभुलाल जी पारगी ने रिष्वत के रूप में पच्चीस हजार रूपये की मांग कि गई और मेरे निवेदन करने पर सचिव साहब बीस हजार रूपये लेने हेतु राजी हुए है जिस पर मांग सत्यापन के दौरान मैने उन्हे चार हजार रूपये दिए थे और बाकि की राषि व्यवस्था होने पर लाकर देने को कहां है। स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10.15 एएम पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बांसवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री संजय साहु पिता श्री शान्तिलाल साहु जाति तेली उम्र 55 वर्ष निवासी 10 ऋषी कुंज कॉलोनी रतलाम रोड जिला बांसवाडा हाल उप प्रधानाचार्य राजकीय नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं श्री मणीलाल यादव पिता पुंजीलाल यादव जाति यादव उम्र 55 वर्ष निवासी 12, सुर्यानन्द नगर जिला बांसवाडा हाल अध्यापक राजकीय नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला बांसवाडा होना बताया। तत्पश्चात दोनों गवाहों एवं परिवादी श्री रकमचंद बामनिया को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय

कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री रकमचंद बामनिया का आपस में परिचय कराया गया तथा दोनो गवाहन को ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। समय 10.25 एएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया की रिपोर्ट दिनांक 20-01-25 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.35 एएम पर कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मंगवाया गया जिसमें दिनांक 20.01.2025 को समय 12.47 पीएम पर रिकॉर्ड प्रथम वार्ता जिसे परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया कि उक्त वार्ता में मेरी सचिव साहब से रिष्वत सम्बन्धि कोई बात नही हुई केवल सचिव साहब एवं अन्य व्यक्तियों की आवाज है। जिस पर परिवादी द्वारा बताया गया तथ्यों एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर की प्रथम वार्ता को सुनने से रिष्वत मांग सम्बन्धि कोई वार्ता नही होने से उक्त प्रथम वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब नही कि गई। समय 10.50 एएम पर दिनांक 20.01.2025 को समय 01.13 पीएम पर हुई द्वितीय वार्ता जिसमें परिवादी व आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के मध्य आमने-सामने हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 11.50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रकमचंद बामनिया को आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाड़ा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 32 नोट कुल 16,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री रकमचंद बामनिया द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री राजेश कुमार कानि 555 से कार्यालय कक्ष के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि 657 को सम्भलवाई गई तथा चा.कानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री रकमचंद बामनिया की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखने से पूर्व परिवादी की जामातलाशी श्री संजय साहू स्वतन्त्र गवाह से लिवाई जाने के पश्चात उक्त जेब में नोटो को श्री जितेन्द्र िंसह चा.कानि से कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानि 555 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र िंसह चा.कानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र सिंह चा. कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री राजेश कुमार कानि 555 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री राजेश कुमार कानि 555 के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री जितेन्द्रसिंह व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री जितेन्द्र सिंह चा.कानि को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.11 पीएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया के मोबाईल नं [redacted] पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के मोबाईल नं [redacted] का कॉल आया और परिवादी से पूछा गया की रजिस्टर कहां पर पडा है जिस पर परिवादी ने बताया की मै कार्यालय पर आ रहा हूं। जिस पर आरोपी ने कहां की आ जा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया। समय 12.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रकमचंद बामनिया को सवयं की निजी मोटरसाईकल व श्री राजेष

कुमार कानि को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ एवं श्री पंकज कुमार कानि को निजी मोटरसाईकल से एवं श्री दिनेष कुमार सउनि व श्री बन्सीलाल कानि को निजी मोटरसाईकल से ग्राम पंचायत भापोर के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री माजिद खान कानि मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से ब्यरो इकाई बांसवाडा से भापोर की ओर रवाना हुए। समय 12.33 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाषुदा ग्राम पंचायत भापोर के आस-पास पहुंच कर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के कार्यालय में उपस्थित होने सम्बन्धि जानकारी गोपनीय रूप से प्राप्त कि गई तो मालूम हुआ की आरोपी सचिव वहां पर उपस्थित नही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान आरोपी सचिव के ग्राम पंचायत पर आने के इन्तजार में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुए। तत्पष्चात परिवादी ने अपने स्तर से मालूमात की गई तो आरोपी सचिव ग्राम पंचायत भापोर पर उपस्थित आने की सूचना मिलने पर समय करीब 02.00 पीएम पर परिवादी को श्री राजेष कुमार कानि द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द कर ग्राम पंचायत भापोर की और रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे-पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि को सम्भलाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मै ग्राम पंचायत भापोर कार्यालय गया तो सचिव साहब वहां मिले परन्तु उन्होने मुझसे रिश्वत की राशि से सम्बन्धित कोई बात ही नही की और अन्य ग्राम पंचायत के कार्मिक भी उपस्थित थे इसलिए मैने भी उनसे कोई बात नही की। जिस पर परिवादी को आवश्यक समझाईश कर पुनः समय करीब 02.21 पीएम पर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द कर ग्राम पंचायत की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि को सम्भलाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि सचिव साहब ने मुझसे एरियर सम्बन्धि बात रिश्वत राशि लेने बाबत् कोई बात नही की गई। तत्पश्चात समय करीब 02.49 पीएम पर परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द कर ग्राम पंचायत भापोर की ओर रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि को सम्भलाया गया। परिवादी ने बताया की सचिव साहब कार्यालय पर आए थे परन्तु वापस कही चले गए है अब सचिव साहब कार्यालय पर नही आएंगे। जिस पर परिवादी के कथनानुसार अब आरोपी सचिव के कार्यालय पर आने की सम्भावना नही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 16,000/- रूपये परिवादी की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री मणिलाल से निकलवाई जाकर सुरक्षित एक सफेद कागज में रखकर ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्य मय आवश्यक संसाधनों के अपने-अपने वाहनो से कस्बा भापोर से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। समय 03.18 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाह तथा ब्यूरो जाप्ता उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा तथा ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि को निर्देषित किया गया। समय 03.25 पीएम पर 12.11 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी कें मध्य हुई मोबाईल वार्ता , 02.00 पीएम, 02.21 पीएम व 02.49 पीएम पर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुनाया गया तो समय 02.00 पीएम व 02.49 पीएम पर परिवादी व आरोपी की कोई रिष्वत लेन-देन सम्बन्धि वार्ता नही हुई है सिर्फ ग्राम पंचायत भापोर के अन्य कार्मिकों व व्यक्तियां की आवाजें है इसलिए दोनों वार्ताओं की फर्दे मूर्तिब नही की गई है। समय 12.11 पीएम परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं 02.21 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने-सामने हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्टे हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से पृथक-पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 05.15 पीएम पर दर्ज रहे की आज आरोपी द्वारा परिवादी से रिष्वत राषि ग्रहण नही की गई है परिवादी के बताए अनुसार आरोपी सचिव कल दिनांक 23.01.2025 को रिष्वत राषि लेने की संभावना है इसलिए परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू व श्री मणिलाल यादव को मुनासिब हिदायत कर कल दिनांक 23.01.2025 को प्रातः ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। दिनांक

23.01.2025 समय 10.30 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री रकमचंद बामनिय एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू व श्री मणिलाल यादव ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आए जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बैठाया गया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया कि मैने पंचायत कार्यालय में जाकर पता किया सचिव साहब कार्यालय में आ गए है। जिस पर ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखे ट्रेप बॉक्स को श्री राजेश कुमार कानि से मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी रिष्वती राषि 16,000/- रूपये जो की एक सफेद कागज में लपेट कर रखी है को स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू से निकलवाई जाकर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया के आगे की दाहिनी जैब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाई गई तथा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये और उक्त सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। समय 11.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रकमचंद बामनिया व श्री बंसीलाल कानि को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को स्वयं की निजी मोटरसाईकल से तथा श्री राजेष कुमार कानि एवं श्री पंकज कुमार कानि को निजी मोटरसाईकल से ग्राम पंचायत भापोर के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री माजिद खान कानि, श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से ब्यरो इकाई बांसवाडा से भापोर की ओर रवाना हुए। समय 11.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाषुदा ग्राम पंचायत भापोर के आस-पास पहुंच कर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के कार्यालय में उपस्थित होने सम्बन्धि जानकारी गोपनीय रूप से प्राप्त कि गई तो मालूम हुआ की आरोपी सचिव वहां पर उपस्थित नही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान आरोपी सचिव के ग्राम पंचायत पर आने के इन्तजार में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुए। तत्पष्चात परिवादी ने अपने स्तर से मालूमात की गई तो आरोपी सचिव ग्राम पंचायत भापोर पर उपस्थित आने की सूचना मिलने पर समय करीब 12.12 पीएम पर परिवादी को श्री बंसीलाल कानि द्वारा डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द कर आवष्यक समझाईष कर ग्राम पंचायत भापोर की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे-पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। करीबन डेढ घण्टे बाद परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखने हेतु श्री बंसीलाल कानि को सम्भलाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मै ग्राम पंचायत भापोर कार्यालय गया तो सचिव साहब किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे तो उनसे मेरी बात काफी समय बाद उन्होने मुझसे बात की ओैर मैने रिश्वत राशि 16,000/- रूपये उनको देने लगा तो सचिव साहब ने कहां कि वेतन के बिल जमा हो जाए उसके बाद तु मुझे दे देना कह कर वह अपने निजी मोटरसाईकल से रवाना हो गए अब सचिव साहब मुझसे वेतन बिल पास होने के बाद हि बकाया रिश्वत राशि 16,000/- रूपये ग्रहण करेंगे। जिस पर परिवादी के बताए तथ्यों से अब आरोपी रिश्वत राशि वेतन बिल पास होने के बाद हि ग्रहण करेंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 16,000/- रूपये परिवादी की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री मणिलाल से निकलवाई जाकर सुरक्षित एक सफेद कागज में रखकर ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्य मय आवश्यक संसाधनों के अपने-अपने वाहनो से कस्बा भापोर से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। समय 02.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाह तथा ब्यूरो जाप्ता उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा तथा ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि को निर्देषित किया गया। समय 02.15 पीएम पर 12.12 पीएम पर परिवादी व आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के मध्य आमने-सामने हुई रिष्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 04.30 पीएम पर दर्ज रहे की आज आरोपी द्वारा परिवादी से रिष्वत राषि ग्रहण नही की गई है परिवादी के बताए अनुसार आरोपी सचिव वेतन बिल जमा होने के बाद रिष्वत राषि लेने की संभावना है इसलिए परिवादी श्री रकमचंद को समझाईष की गई की वेतन बिल जमा होते ही कार्यालय उपस्थित आवे जिस पर परिवादी ने बताया की वेतन बिल जमा होने करीब 4-5 दिन का समय लगता है जैसे ही वेतन बिल मेरे पिताजी के खाते में जमा हो जायेगा मैं आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पष्चात परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू व श्री मणिलाल यादव को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। आईन्दा परिवादी श्री रकमचंद के कार्यालय उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजत की जावेगी। दिनांक 28.01.2025 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं ग्राम पंचायत भापोर गया था वहां सचिव साहब से मिला तो उन्होंने मुझे कहा की वेतन बिल बना दिया है तु समिति (भुतपूर्व सैनिक कल्याण

बांसवाडा) के ऑफिस जाकर पता कर लेना की वो कब तेरे पिताजी के खाते में वेतन जमा करेंगे। जिस पर मै आज समिति (भुतपूर्व सैनिक कल्याण बांसवाडा) के कार्यालय गया तो उन्होने मुझे बताया की ग्राम पंचायत से बिल जमा हो गया है वेतन आज शाम या कल सुबह तक तुम्हारे पिताजी के खाते में जमा हो जाएंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की जैसे ही वेतन खाते में जमा हो जाए तो तुरन्त ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय उपस्थित आने पर नियमानुसार पूर्व के पाबन्दषुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान को तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जावेगी। दिनांक 29.01.2025 समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पिताजी के बैंक खाते में वेतन जमा हो गया है कार्यवाही करावें। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व पाबन्दषुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान को जरिये दूरभाष कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देषित किया गया समय करीब 03.40 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू व श्री मणिलाल यादव ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आए। तत्पष्चात ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखे ट्रेप बॉक्स को श्री राजेश कुमार कानि से मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी रिष्वती राषि 16,000/- रूपये जो की एक सफेद कागज में लपेट कर रखी है को स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू से निकलवाई जाकर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया के आगे की दाहिनी जैब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाई गई तथा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये और उक्त सफेद कागज को जलाकर नष्ट करवाया गया। समय 04.41 पीएम पर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को कार्यालय की अलमारी से श्री राजेष कुमार कानि से मंगवाया गया तथा परिवादी श्री रकमचंद बामनिया के मोबाईल नं [redacted] से आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल करवाया जाकर वार्ता कराई गई तो वार्ता में आरोपी ने परिवादी को कहां की तु ठिकरीया आकर मुझे कॉल करना। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया। समय 04.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रकमचंद बामनिया व श्री बंसीलाल कानि को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को स्वयं की निजी मोटरसाईकल से तथा श्री राजेष कुमार कानि को निजी मोटरसाईकल एवं श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को निजी मोटरसाईकल से कस्बा ठिकरीया जिला बांसवाडा के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये सरकारी वाहन से ब्यरो इकाई बांसवाडा से ठिकरीया की ओर रवाना हुए। समय 05.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान कस्बा ठिकरीया के आस पास पहूंचकर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर समय 05.08 पीएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया के मोबाईल नं [redacted] से आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के मोबाईल नं . [redacted] पर कॉल करवाया जाकर वार्ता कराई गई तो वार्ता में आरोपी ने परिवादी को कहां की तु मन्दिर आजा में सामने आ रहां हूं। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री रकमचंद बामनिया को श्री बंसीलाल कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपुर्द कर ठिकरीया मन्दिर की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। समय 05.50 पीएम पर दर्ज रहे कि 05.12 पीएम पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया ने ठिकरीया मन्दिर के सामने वाली सडक पर खडे होकर अपने सिर पर हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता परिवादी के पास पहूंचे तो आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव ब्यूरो जाब्ता को देखकर अपनी मोटरसाईकल छोडकर भागने लगा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर ब्यूरो जाब्ता ने आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी को कस्बा ठिकरीया के तालाब की सामने वाली सडक से भागते हुए पकड लिया। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर श्री राजेष कुमार कानि एवं श्री बंसीलाल कानि द्वारा आरोपी को कलाई के उपर से पकडते हुए रखा गया तथा परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालात में प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित श्री बंसीलाल कानि को सम्भलवाया गया । तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रभुलाल पारगी पुत्र मावजी पारगी उम्र 39 वर्ष निवासी ठिकरिया बांसवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाडा होना बताया। तत्पष्चात आरोपी से अभी-अभी परिवादी से रिष्वत राषि 16,000/- रूपये किस बात के ग्रहण किये है इस बाबत् पूछा तो आरोपी ने बताया की मैने उधार दिये थे। जिस पर पास में ही खडे परिवादी ने बताया कि ये झुठ बोल रहे है मेरे पिताजी के वेतन बिल बनाने की एवज में सचिव साहब ने मुझसे 25,000/- रूपये रिष्वत राषि की मांग की थी और 20,000/- रूपये मांग सत्यापन के दौरान लेने पर सहमत हुए थे जिसमें से मैने मांग सत्यापन के दौरान सचिव साहब को 4,000/- रूपये दे दिए थे और आज बकाया रिष्वत राषि सचिव साहब ने वेतन बिल जमा होने के बाद देने के लिए कहां था जो आज बकाया

रिष्वत राषि 16,000/- रूपये इनकी मांग अनुसार मैने दिये है जो इन्होने अभी-अभी मुझसे ग्रहण कर अपनी पेन्ट की जेब में रखे है। ततपष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू से आरोपी की जामातलाषी लिवाई गई तो आरोपी के पहने हुए पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से कुछ राषि बरामद हुई जिसे पूर्व में मूर्तिब फर्द पेषकषी से दोनो स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त राषि फर्द में अंकित नोटो के हूबहू हुई। उक्त राषि स्वतंत्र गवाह श्री संजय साहू को सुरक्षित अपने पास रखने हेतु सम्भलवाई गई। घटनास्थल कस्बा ठिकरीया जहां से आरोपी को रिष्वत लेते रंगे हाथों पकडा गया वहां पर कार्यवाही के दौरान काफी भीड भाड एकत्रित हो गई और आस पास में लिखा पढी के लिए के कोई उपयुक्त जगह उपलब्ध नही होने से अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई पर पहूंचकर किया जाना उचित रहेंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी को उसी अवस्था में सुरक्षित सरकारी वाहन में बिठाया गया तथा परिवादी व अन्य ब्यूरो जाब्ता अपने-अपने वाहनों से कस्बा ठिकरीया से रवाना हो ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचे। तत्पष्चात अग्रिम प्रकियानुसार आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री राजेश कुमार कानि. से सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री राजेश कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर कार्यालय में से पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री राजेश कानि. से कराये जाकर मार्क आर एच -1 एवं आर एच-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री राजेश कुमार कानि. से कराये जाकर मार्क एल एच-1 एवं एल एच-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के पहने हुए पेन्ट बरंग डार्क ब्राउन की आगे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर आरोपी को पहनने के लिए एक पायजामा मंगवाया जाकर पहनवाया गया तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में से एक नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर कार्यालय में से पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब को उल्टा करवाकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री राजेश कानि. से कराये जाकर मार्क पी -1 एवं पी-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट की जेब को सुखा कर पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क पी अंकित कर कपडे की थैली को सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वत् राशि को मौके पर गवाह् श्री संजय साहू के पास सुरक्षित रखवाई गई थी, उपरोक्त बरामद 16,000/- रूपये की रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री राजेश कुमार कानि. से सिलचिट करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह् एवं परिवादी के समक्ष ही आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी को तसल्ली देते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछा कि आप द्वारा परिवादी श्री रकमचंद बामनिया से रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की है जिस पर आरोपी द्वारा पुनः कहा गया कि मैने रकमचंद को उधार दिये थे जो उसने मुझे वापस लौटाये है जिस पर परिवादी ने कहां की सचिव साहब झुठ बोल रहे है इन्होने मेरे पिताजी के वेतन बिल भुगतान करने की एवज में मुझसे पच्चीस हजार रूपये की मांग की थी तथा मांग सत्यापन के दौरान मुझसे बीस हजार रूपये लेने को सहमत हुए थे जिस पर मेरे द्वारा मांग सत्यापन के दौरान चार हजार रूपये सचिव साहब को दिए थे और बकाया रिश्वत राशि सोलह हजार रूपये आज इन्होने अपनी मांग अनुरूप ग्रहण किए है। इस पर आरोपी चुप हो गया कुछ नही बोला तत्पश्चात परिवादी ने बताया की मेरे पिताजी का वेतन ग्राम पंचायत द्वारा बिल बनाकर भुतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा को भेजा जाता है जहां से समिति द्वारा बिल का भुगतान किया जाता है इतने समय से इन्होने समिति को मेरे पिताजी के वेतन का बिल समिति को भुगतान ही नही किया गया था। तत्पश्चात भुतपूर्व सैनिक कल्याण समिति बांसवाडा से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर परिवादी के पिता से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु सम्बन्धित कार्मिक को भिजवाने हेतु निर्देशित किया। मौके पर ही विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा को भी जरिये दूरभाष ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपि के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपि ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। हालात

उच्चाधिकारीयों को अवगत कराये गए। समय 07.10 पीएम पर आरोपी को ब्यूरो इकाई पर ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में रख मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, मय ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से आरोपी के कस्बा ठिकरीया जिला बांसवाडा स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी के लिये रवाना हुए। समय 07.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी के कस्बा ठिकरीया जिला बांसवाडा रिहायशी मकान पर पहूचे जहां जरिये दूरभाष तलबीदाशुदा मकानि श्रीमति रूपल म कानि 473 उपस्थित आए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता की उपस्थिति में खाना तलाशी शुरु की गई। समय 08.40 पीएम पर दर्ज रहे कि आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के रिहायषी मकान कस्बा ठिकरिया जिला बांसवाडा की खाना तलाषी ली जाकर फर्द खाना तलाषी मूर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई। बाद खाना तलाषी महिला कानि श्रीमति रूपल म कानि 473 को रुखसत किया गया। रात्री का समय होने से घटनास्थल नक्शा मौका अकब से मूर्तिब किया जायेगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से कस्बा ठिकरिया जिला बांसवाडा से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 09.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से कस्बा ठिकरिया जिला बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 09.05 पीएम पर 04.41 पीएम, 05.08 पीएम परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं 05.12 पीएम पर परिवादी व आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी सचिव के मध्य आमने-सामने हुई रिष्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक-पृथक चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 10.10 पीएम पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसकी पत्नि श्रीमति पुष्पलता पारगी को जो ब्यूरो चौकी पर उपस्थित है को दी गई। समय 10.15 पीएम पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी को भ्र.नि. ब्यूरो बांसवाड़ा के पत्रांक एसपीएल-2 दिनांक 29.01.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-3 दिनांक 29.01.2025 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय 10.20 पीएम पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु जरिये पत्रांक एसपीएल -1 दिनांक 29.01.2025 से श्री बन्सीलाल कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि को जरिये सरकारी वाहन राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के लिये रवाना किए। समय 10.50 पीएम पर श्री बंसीलाल कानि मय स्टाफ के सदस्यों सहित आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपी के मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेष किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.15 पीएम पर पाबन्दशुदा श्री बहादुर सिंह निनामा पिता श्री भेरूलाल निनामा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला बांसवाडा जो ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आए तत्पश्चात ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड शुदा दिनांक 20.01.2025 को रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 22.01.2025 व 23.01.2025 एवं 29.01.2025 को हुई रिष्वत लेन-देन वार्ताओ के मुख्य अंष को मौके पर उपस्थित आये श्री बहादुर सिंह निनामा सहायक विकास अधिकारी को सुनाई गई तो उक्त वार्ता में एक आवाज श्री प्रभुलाल पारगी की होना बताया गया। श्री बहादुर सिंह निनामा ने बताया कि विभाग के कार्य में साथ-साथ काम करने की वजह से श्री प्रभुलाल पारगी की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। दिनांक 30.01.2025 समय 01.00 एएम पर तलबिदाषुदा भुतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सहकारी समिति लिमिटेड बांसवाडा से श्री रवि वर्मा पुत्र श्री पांचुलाल वर्मा निवासी विद्युत नगर कॉलोनी बांसवाडा हाल सुपरवाईजर भुतपूर्व सैनिक कल्याणकारी सहकारी समिति लिमिटेड बांसवाडा उपस्थित आया जिससे परिवादी के पिता के ग्राम पंचायत भापोर पर सुरक्षा कर्मी आउटसोर्सिंग बेसिस हेतु नियुक्ति पत्र के दस्तावेजात, वाउचर एवं बैंक स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रतियां पेष की जिसे बाद अवलोकन कर सम्बन्धित स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया। समय 01.30 एएम पर दिनांक 20.01.2025 रिष्वत राषि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री रकमचंद बामनिया एवं आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के मध्य मोबाईल व आमने-सामने हुई वार्ता एवं 22.01.2025, 23.01.2025 को परिवादी एवं आरोपी कें मध्य मोबाईल व आमने-सामने हुई वार्ता तथा दिनांक 29.01.2025 को रिष्वत राषि लेन-देन वार्ता के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य मोबाईल व आमने-सामने हुई लेन-देन वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंसीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो

पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 01.50 एएम पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बन्सीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 02.10 एएम पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के निवास स्थान की खानातलाषी के दौरान् श्री जितेन्द्र सिंह चालक कानि के मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 02.40 एएम पर दिनांक 20.01.2025 रिष्वत राषि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री रकमचंद बामनिया एवं आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी के मध्य मोबाईल व आमने-सामने हुई वार्ता एवं 22.01.2025, 23.01.2025 को परिवादी एवं आरोपी कें मध्य मोबाईल व आमने-सामने हुई वार्ता तथा दिनांक 29.01.2025 को रिष्वत राषि लेन-देन वार्ता के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य मोबाईल व आमने-सामने हुई लेन-देन वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग नीला व सफेद 16 जी.बी. जिस पर कन्सिसटेंट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क एम अंकित कर जब्त किया गया। समय 03.00 एएम. आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी एवं परिवादी के मध्य मोबाईल वार्ताए हुई थी आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री मणीलाल यादव से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री मणीलाल यादव कां सम्भलाया गया था, जिसे जब्त करना आवष्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 03.30 एएम. पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि 555 को निर्देशित किया गया। समय 04.00 एएम. पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा हेतु तेहरीर देकर श्री पंकज कुमार कानि., श्री बन्सीलाल कानि मय श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक जरिये सरकारी वाहन मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 04.30 एएम. पर श्री पंकज कुमार कानि रवाना फिगरा का जरिये सरकारी वाहन आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा करा ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आये। श्री पंकज कुमार कानि ने पुलिस थाना कोतवाली की रोजनामचा रपट पेष की जिसे शामील पत्रावली किया गया। समय 07.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही में घटनास्थल का नक्षा मौका बनाया जाना आवष्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेष कुमार कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह ले जरिये सरकारी वाहन से ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना हो कस्बा ठिकरिया मन्दिर के लिए रवाना हुए। दिनांक 30.01.2025 समय 08.30 ए.एम. पर उपरोक्त पैरा के रवानाषुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री राजेष कुमार कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह चालक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के बाद घटनास्थल नक्षा मौका के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए और घटनास्थल का नक्षा मौका जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही की लिखापढी पूर्ण होने पर परिवादी श्री रकमचंद बामनिया एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहो को रूखसत किया गया। समय 10.15 ए. एम. पर आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा से प्राप्त करने हेतु कार्यालय से श्री बंसीलाल कानि एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि चालक को मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया। समय 11.00 ए.एम. पर श्री बंसीलाल कानि हमराह आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा पर उपस्थित आया कानि द्वारा पुलिस थाना कोतवाली की रोजनामचा रपट प्रस्तुत की, जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री दिनेष कुमार सउनि, श्री बंसीलाल कानि आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी को जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के समक्ष पेश करने हेतु जरिये सरकारी वाहन मय श्री जितेन्द्र िसह चालक कानि के रवाना हुए। प्रकरण में आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिष्वत राषि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी द्वारा परिवादी के पिताजी के वेतन बिल बनाने की एवज में रिष्वत राषि की मांग की गई। परिवादी की रिपोर्ट के अनुरूप कुल 25,000/- रूपये की रिष्वत राषि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 20.01.2025 को रिष्वत राषि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिष्वत मांग वार्ता केदौरान 20,000/- रूपये रिष्वत राषि लेने पर सहमत हुआ और मांग सत्यापन के दौरान 4,000/- रूपये परिवादी से ग्रहण किये गए। तत्पष्चात नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर दिनांक 29.01.2025 को आरोपी द्वारा परिवादी से बकाया रिष्वत राषि 16,000/- रूपये अपनी मांग अनुसार ग्रहण करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा रिष्वत राषि बरामद की जा चुकी है। आरोपी से कोई बरामदगी शेष नहीं है। इस प्रकार आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 29.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी पिता श्री मावजी पारगी उम्र 39 वर्ष निवासी ठिकरिया बांसवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रतन सिंह राजपुरोहित,उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,डूंगरपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 525 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 93-96 दिनांक 30-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बासंवाडा। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा। उप महनिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2025 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/03/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)